

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं: 0141-2228066, 2228064
सीआईएन: U24232RJ2011SGC035067

फैक्स नं 0141-2228065

वेबसाइट : www.rmhc.health.rajasthan.gov.in

ई-मेल :: rmhc@nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2024-25/3112

दिनांक : 21/2/25

आदेश

फर्म मैसर्स Wockhardt Limited, Wockhardt Biotech Park, H14/2M.I.D.C., Waluj Aurangabad - 431136 से निविदा क्रमांक F.02(273)/RMSCL/Proc./Drug/NIB-15/2019/1202 दिनांक 06.11.2019 के तहत औषधि Insulin Glargine 10 ml Vial (100IU/MI) With 30 Insulin Syringes with Needle [693] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 1056 दिनांक 18.06.2021 व 2802 दिनांक 19.02.2021 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि का Testing हेतु राष्ट्रीय जैविक संस्थान द्वारा जाँच किये जाने पर औषधि के बैच (DW10203, DW10202) को sample does not confirm to claim with respect to Zinc के कारण अमानक कोटि का पाया गया।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से उक्त बैच (DW10203, DW10202) के sample does not confirm to claim with respect to Zinc की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 22.01.2025 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने औषधि के बैच (DW10203, DW10202) को अमानक कोटि का घोषित किया है।

फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्माता फर्म मैसर्स Wockhardt Limited, Wockhardt Biotech Park, H14/2M.I.D.C., Waluj Aurangabad - 431136 की औषधि Insulin Glargine 10 ml Vial (100IU/MI) With 30 Insulin Syringes with Needle [693] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2025.02.21 10:47:03 IST
Reason: Approved



गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(नेहा गिरि)
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2024-25/3112
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

दिनांक : 21/2/25

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच./आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ महाराष्ट्र।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं अति.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s Wockhardt Limited, Wockhardt Biotech Park, H14/2M.I.D.C., Waluj Aurangabad – 431136
12. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2025.02.21 10:47:03 IST
Reason: Approval